NOTARY
Narendra
Kr. Singh
GOVT. OF BI

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA
ORIGINAL APPLLICATION NO.________________OF 2023
Under Section 14 and 17 of the National Green Tribunal Act 2010

IN THE MATTER OF:

Arsad Nasar

...Applicant

VERSUS

Department of Environment, Forest & Climate Change Government of Bihar & Ors.

...Respondent

INDEX

Sl. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Copy of Preliminary Offence Report bearing no 5092 and the Seizure Memo	R/1 Colly	
2.	Copy of the letter no. 2520 dated 12th February, 2022	R/2	
3.	Copy of the of letter dated 12-02-2022 addressed to the vehicle owner	R/3	
4.	Copy of the letter No.-37P/23.3.2023	R/4	
5.	Copy of the letter No.-37P/23.3.2023	R/5	
6.	Copy of the letter No.- 2614, dated-03.10.2023	R/6	
7.	Copy of the final prosecution report	R/7	

Date:
Place:

Filed By:
Mr. Surendra Kumar,
Advocate

BIHAR COURT FEE ₹10 BRECR042C231100003507 02 Nov 2023

BIHAR COURT FEE ₹10 BRECR042C231100003510 02 Nov 2023

WELFARE STAMP बिहार BIHAR पच्चीस रुपये Rs. Twenty Five 23 Aug 2023 61

NOTARY Narendra Kr. Singh Jamui (Bihar) Reg. No.-1250/87 Exp. Date 16.03.2027 GOVT. OF BIHAR

DIST BAR ASSOCIATION JAMUI B.M.R.F ESTD- 1884 General Secretary S.N- 30635 RS- 25/-

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

ORIGINAL APPLICATION NO.________________OF 2023

Under Section 14 and 17 of the National Green Tribunal Act 2010

IN THE MATTER OF:

Arsad Nasar

...Applicant

-VERSUS-

Department of Environment, Forest & Climate Change Government of Bihar & Ors.

...Respondent

5995
27.11.23

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, DISTRICT- JAMUI, BIHAR, i.e. the Respondent no. 8, herein.

I, Piyush Kumar Barnwal son of Late Nalkuni Prasad Barnwal aged 32 years, by faith Hindu, by occupation Government Service, working for gain at the Office of DIVISIONAL FOREST OFFICER, DISTRICT- JAMUI, BIHAR, 811307, do hereby solemnly affirm and submit as followed:

1) That I am holding the post of Divisional Forest Officer, Jamui Forest Division and I have made myself acquainted with the facts and circumstances of the instant case and have gone through the documents pertaining to the subject matter of the instant application and I am competent to file this instant affidavit before this Hon'ble Tribunal.

Sworn Affidavit No. 5995 Dated 27.11.23 Sheets 11

N K Singh 27.11.23

2) That the respondent no. 8 would like to state that this case pertains to seizure of tractor vehicle with Registration number BR 52G3238 on 3.12.2022 at 8.35 AM in Sheikhpura at Chhatiyari Tola Path under Section 52(1) of Indian Forest (Bihar Amendment) Act, 1989. The tractor was carrying logs of Shisham, Guler and Babool without transit permit and hence was seized as transit of Shisham and Guler requires Transit Permit under Bihar Timber and other Forest Produce Transit Ruled 1973 framed under Section 41 of Indian Forest(Bihar Amendment) 1989. The seized tractor has been kept in Forest Custody in Ariyari Nursery.

NOTARY Narendra Kr. Singh Jamui (Bihar) Reg. No. 1250/87 Exp. Date 16.03.2027 GOVT. OF BIHAR

3) That the respondent no. 8 would like to state that a Preliminary Offence Report being No. 5092 at Sheikhpura Range, Jamui Division, was prepared and sent to Chief Judicial Magistrate, Sheikhpura, along with Seizure Memo by the Range Officer of Forest, Sheikhpura on 03.12.2022.

A Copy of Preliminary Offence Report bearing no 5092 and the Seizure Memo are attached herewith and marked with the Letter- R/1 Collectively.

4) That the respondent no. 8 would like to state that a proceeding has been initiated against the seized vehicle under Section 52(3) of Indian Forest (Bihar Amendment) Act, 1989 and the information of the same was sent to Chief Judicial Magistrate, Sheikhpura under Section 52(4)(a) of Indian Forest (Bihar Amendment) Act, 1989 vide Letter No.-2520- dated- 12.2.22

A Copy of the letter no. 2520 dated 12th February, 2022, has been attached herewith and marked with the Letter- R/2.

5) That the respondent no. 8 would like to state that the owner of the vehicle was also informed about the seizure of the vehicle under Section 52(4)(b) of Indian Forest (Bihar Amendment) Act, 1989 vide Memo No.-2520, dated- 12.02.2022.

A Copy of letter dated 12-02-2022 addressed to the vehicle owner is_attached herewith and marked with the Letter- R/3.

6) That the respondent no. 8 would like to state that as the land in question was not a forest land, the Range Officer of Forests Sheikhpura wrote a letter bearing no. 157 dated 23rd December, 2022 informing the Station House Officer, Sheikhpura to enquire and take steps whether the land is Gair- Mazrua and accordingly lodge a case against the perpetrators under the relevant sections of Indian Panel Code and/or any other law for damaging public property and also for illegal felling of trees from the Government land.

NOTARY Narendra Kr. Singh Jamui (Bihar) Reg. No.-1250/87 Exp. Date 16.03.2027 GOVT. OF BIHAR

A Copy of letter 157 dated 23rd December, 2022, addressed to the vehicle owner is_attached herewith and marked with the Letter- R/4.

7) That the respondent no. 8 would like to state that a Detailed Prosecution Report of the case has been sent by the Range Officer of Forest, Sheikhpura to the Divisional Forest Officer, Jamui vide DPC No.-37P/23.3.2023 and the same has been sent to Chief Judicial Magistrate, Sheikhpura vide Memo No. 1083 dated 19.4.2023 of the office of Divisional Forest Officer.

A Copy of letter No.-37P/23.3.2023 is_attached herewith and marked with the Letter- R/5.

8) That the respondent no. 8 would like to state that after initiating the Confiscation Proceeding in the said case, notices has been issued to the owner (defendant) and Prosecution for hearing and their respective statements have been duly recorded.

9) That the respondent no. 8 would like to humbly state that the initiation of legal action for illegal felling of the trees pertaining to the seized vehicle does not lie within the jurisdiction of the Forest Department as after duly verifying and inspecting it was found that the trees that were felled/cut/uprooted were not from the Forest Land, as such the appropriate authorities were duly informed for taking legal actions against the perpetrators and the Forest Department in accordance to the Indian Forest (Bihar Amendment) Act, 1989 could only take actions for the offence of illegally transporting of timber.

NOTARY Narendra Kr. Singh Jamui (Bihar) Reg. No 1250/87 Exp. Date 16.03.2027 GOVT. OF BIHAR

10) That the respondent no. 8 would like to humbly state that a Letter No- 2614, dated-03.10.2023, was issued to the Circle Officer, Sheikhpura, for initiation of legal action for the offence of illegal felling of trees, by ascertaining the fact that the land from which the trees were felled/uprooted is Gair Mazrua Land or not, and if it is, then a case should be booked for damaging public property under corresponding sections of IPC.

A Copy of letter No.- 2614, dated-03.10.2023 is attached herewith and marked with the Letter- R/6.

11) That the respondent no. 8 controverts and refutes all allegations contained in the said application. Save and except for what are specifically admitted, all other contentions and averments made in the said application are denied and disputed in seriatim.

12) That the respondent no. 8 would like to humbly state that with reference to the statements made in paragraph no. 1 & 2, it is a matter of record and would reserve its rights to make proper submission on the same at the time of hearing, if required at all.

NOTARY
Narendra Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No. 1250/87
Exp. Date 16.03.2027
GOVT. OF BIHAR

13) That the respondent no. 8 would like to humbly state that with reference to the statements made in paragraph no. 3 and 4(A), all allegations are denied and disputed as alleged or at all. The respondent no. 8 would like to further state that Jamui Forest Department acted in accordance with the provisions made in 41 Indian Forest (Bihar Amendment) Act, 1989, by seizing the tractor for illegal transit of timber logs without transit permit. Since the act of felling of trees does not fall within the jurisdiction of Jamui Forest Department, letter has been written to the Circle Officer, Sheikhpura to initiate actions under law. A confiscation proceeding of seized tractor has been initiated in the court of Authorized officer-cum-Divisional Forest Officer, Jamui, for the offence of illegal transit and the final prosecution report of the case has been sent to Chief Judicial Magistrate, Sheikhpura vide DPC No-37P dt-23.03.2023. Since, the land was not a forest land,

Range Officer of Forests Sheikhpura wrote a letter to Station House Officer, Sheikhpura Vide letter No- 157 dt-23.12.2022, "which is marked as annexure R/4" to enquire whether the land is Gair- Mazrua and to book case against the perpetrators under corresponding sections of Indian Panel Code for damaging public property due to illegal felling on Govt. land. This has been accepted by the applicant in statement made in para 4F of the said Original Application.

A Copy of the final prosecution report is attached herewith and marked with the Letter- R/7.

NOTARY
Narendra Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No. 1250/87
Exp. Date 16.03.2027
GOVT. OF BIHAR

14) That the respondent no. 8 would like to humbly state that with reference to the statements made in paragraph no. 4 (B, C, D, E & F), would reserve its rights to make proper submission on the same at the time of hearing, if required at all.

15) That the respondent no. 8 would like to state that with reference to the statements made in paragraph no. 4 (G), all allegations are denied and disputed as alleged or at all. The respondent no. 8 would like to further state that the applicant had made claims with regard to huge amount of felling of trees in Sheikhpura district, with rackets involved in felling of trees. In this regard, it is relevant to mention that Jamui Forest Department has acted as per law, for the offence of illegal transit. The forest department is not competent to initiate action against felling of trees on lands which are not declared as forest land.

16) That the respondent no. 8 would like to state that with reference to the statements made in paragraph no. 4 (G), all allegations are denied and disputed as alleged or at all. The respondent no. 8 would like to further state that the applicant had submitted a representation before the Divisional Forest Officer, Jamui, as also the District Magistrate, Sheikhpura and the Superintendent of Police, Sheikhpura, on 29/5/2023 regarding indiscriminate felling of trees by respondent no. 4, 5, 6 and 7. Jamui Forest Department has already taken action on 03.12.2022 for offence of illegal transit by seizing the tractor and booking a Forest offence case against the perpetrators before the representation was submitted by petitioner As far as the question of illegal felling is concerned, the same is beyond the jurisdiction of Jamui Forest Department as the land from which trees have been informed to be felled, is not a FOREST Land, Since, the land was not a forest land, Range Officer of Forests Sheikhpura wrote a letter to Station House Officer, Sheikhpura Vide letter No- 157 dt-23.12.2022 **(which is marked with the Annexure-R/4)** of his office to enquire whether the land is Gair- Mazrua and book case against the perpetrators under corresponding sections of Indian Panel Code for damaging public property due to illegal felling on Govt. land. Revenue officials at the Circle level have been informed of the same, so as to inspect the type of the land, whether it is *Raiyati or Gair Mazrua* and act accordingly in accordance with law.

NOTARY Narendra Kr. Singh Jamui (Bihar) Reg. No. 4250/87 Exp. Date 16.03.2027 GOVT. OF BIHAR

17) That the respondent no. 8 would like to state that with reference to the statements made in paragraph no. 4 (I & J), would reserve its rights to make proper submission on the same at the time of hearing, if required at all.

18) That the respondent no. 8 would like to state that with reference to the statements made in paragraph no. 4 (G), all allegations are denied and disputed as alleged or at all. The respondent no. 8 would like to further state that the applicant herein claims that 'trees are felled regularly in Sheikhpura' but the said statement is not supported any document. The Forest Department regularly patrols to check illegal transit of timbers. And no prior information with regard to felling of trees or transit of timber was given by the petitioner before, either to the Revenue Department or the Forest Department.

19) That the respondent no. 8 would like to state that with reference to the statements made in paragraph no. 5 to 8, would reserve its rights to make proper submission on the same at the time of hearing, if required at all.

20) The respondent no. 8 is taking steps to make sure that all the trees are well protected by the Forest Department Personnel and with help of Sheikhpura Police Authorities and in case of any violation, strict action shall be taken against the said wrongdoer in accordance with law.

21) The respondent no. 8 would like to states and submits that they are ready and willing to abide by the order/s direction/s made by this Hon'ble Tribunal and has taken all possible steps to comply the directions of the Hon'ble Tribunal.

22) The statements made in paragraph nos. 1 ~~and~~ to 21 are true to my knowledge, those made in paragraph no. 1 to 21 are true to my information

NOTARY Narendra Kr. Singh Jamui (Bihar) Reg. No. ...87 Exp. ... 16.03.2027 GOVT. OF BIHAR

derived from records which I verily believe to be true and the rest are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.

Piyush

DEPONENT

Prepared at my office

Identified by me

I identify Piyush Kumar Baranwal who put his signature in my presence

Chandra Bhanu Singh

Mr. Surendra Kumar
Advocate

Advocate

NOTARY Narendra Kr. Singh Jamui (Bihar) Reg. No. 1250/87 Exp. Date 16.03.2027 GOVT. OF BIHAR

Enrolment no. 616/1982

BEFORE ME

NOTARY PUBLIC

Sri/Smt. Piyush Kr. Baranwal
Who is identified by Sri C.B. Singh
Advocate Solemnly Affirmed and declare before me.

N. Singh
27.11.23

Narendra kr. Singh Notary, Jamui

VERIFICATION

Verified at ......Jamui...... by the deponent above named on this the _ day of November, 2023 and say that the contents of this affidavit made in paragraph nos. 1 to 21 are true to my knowledge, those made in paragraph no. 1 to 21 are true to my information derived from records which I verily believe to be true and the rest are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.

Piyush

DEPONENT

NOTARY
Narendra
Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Regn. No. 250/87
Expiry Date
16.03.2027
GOVT. OF BIHAR

Sri/Smt. Piyush Kr Barnwal
Who is Identified by Sri C.B. Singh
Advocate Solemnly Affirmed and
declare before me.
N K Singh
27.11.23
Narendra kr. Singh Notary, Jamui

सेवा में,
श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा।

विषय :— दिनांक 3/12/2022 को प्रातः 8:35 Am में लकड़ी लदे ट्रैक्टर के जब्ती के संबंध में।

महाशय

सादर सूचित करना है कि आज दिनांक 03/12/2022 को गुप्त सूचना के आधार पर सभी वनकर्मी के साथ शेखपुरा नगरपरिषद के अंतर्गत वार्ड नं0-14 चांदनी ... की ओर जा रहे थे तो देखा एक ट्रैक्टर तेजी से आ रहा था। हमलोगों के द्वारा पीछा किया गया। हमलोगों को आते देख कर चालक गाड़ी रख कर भागने में सफल रहा। गाड़ी के नजदीक पहुँचा तो गाड़ी Power ट्रैक्टर था। जिसकी जाँच की गई। जाँच के दौरान कोई लकड़ी का वैध कागजात नहीं मिला। जिसे अवैध मानते हुए भारतीय वन अधि0 1927 के बिहार संशोधन अधि0 1989 के धारा 52(1) के तहत जब्त कर जब्ती सूची बनाई गई। वाहन पर लदे लकड़ियों (10 बबूल, 5 गम्हार, 2 शीशम) को सुरक्षित रूप से आरक्षित नर्सरी, शेखपुरा लाकर रखा गया। इस प्रकार अपराधियों द्वारा भारतीय वन बिहार संशोधन अधि0 1989 के धारा 33(1)f, 41, 42 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। चालक के भागने के क्रम में वनकर्मी द्वारा पहचान किया गया जो अभियुक्त के कॉलम में दर्ज है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अपराधियों के विरुद्ध विधि संगत कानूनी कार्यवाई करने की कृपा की जाए। जाँचोपरांत अंतिम अभियोग पत्र उचित माध्यम के द्वारा समर्पित किया जायगा।

अभियुक्त के नाम एवं पता :—

1) नाम - शिवबालक मिस्त्री
पिता - रामफल मिस्त्री
ग्राम - चांद
थाना - शेखपुरा

2) नाम - अबू तबरेज
पिता - अबू जारब
ग्राम - ...

विश्वासभाजन
अशोक कुमार
कार्यालय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
शेखपुरा वन प्रक्षेत्र शेखपुरा

NOTARY
Narendra Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No. 1250/87
Exp. Date 16.03.2027
GOVT. OF BIHAR

R 7-12-22

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा।

विषय– दिनांक 03.12.2022 को प्रातः 08:35 अपराह्न में लकड़ी लोड ट्रेक्टर के जप्ती के संबंध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि आज दिनांक 03.12.2022 को गुप्त सूचना के आधार पर जब वनकर्मियों के साथ शेखपुरा नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड नं0– 14 चरयारी टोला की और जा रहे थे तो देखा एक ट्रेक्टर तेजी से भागा जा रहा था। हमलोग के द्वारा पीछा किया गया। हमलोग को आते देखकर चालक गाड़ी खड़ा करके भागने में सफल रहा। गाड़ी के नजदीक पहुॅचा तो गाड़ी जो पावर ट्रेक्टर था, जिसकी जॉच कि गई। जॉच के दौरान कोई लकड़ी का वैध कागजात नहीं मिला। जिससे अवैध मानते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार संशोधन अधिनियम 1989 के धारा 52 (1) के तहत जप्त कर जप्ती सूची बनाई गई। वाहन पर लदे लकड़ियों (10 बबूल, 5 गुलर, 2 शीशम) को सुरक्षित रूप से अरियरी नर्सरी शेखपुरा में लाकर रखा गया।

इस प्रकार अपराधियों द्वारा भारतीय वन बिहार संशोधन अधिनियम 1989 में धारा 33 (1) (F) 41, 42 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। चालक के भागने के क्रम में वनकर्मी द्वारा पहचान किया, जो अभियुक्त के कॉलम में दर्ज है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अपराधियों के विरूद्ध विधि संगत कानूनी कार्रवाई करने कि कृपा की जाय। जॉचों के उपरांत अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन उचित माध्यम के द्वारा समर्पित किया जायेगा।

अभियुक्त के नाम एवं पता

1. शिवबालम मिस्त्री
   पिता– रामफल मिस्त्री
   ग्राम– चाढ
   थाना– शेखपुरा
2. अबू तबरेज
   पिता– अबू शरबर
   ग्राम– चहियारी

विश्वासभाजन,

वनों के क्षेत्र, पदाधिकारी
शेखपुरा वन प्रक्षेत्र।

NOTARY
Narendra
Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No. 1260/87
Exp. Date
16.03.20..
GOVT. OF BIHAR

कार्यालय वन क्षेत्र पदाधिकारी
शेखपुरा वन क्षेत्र
पत्रांक 150 दिनांक - 06/04/2022

सेवा में,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई समर्पित।

कार्यालय वनों के क्षेत्र पदाधीकारी, शेखपुरा वन प्रक्षेत्र
पत्रांक– 150 दिनांक 05.12.2022

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्रवाई समर्पित।

NOTARY
Narendra
Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No.-1250/87
Exp. Date
16.03.2027
GOVT. OF BIHAR

वन विभाग-बिहार

जप्ती सूची

(1) जप्ती की तिथि एवं समय - 03/12/2022 को 8:35 Am

(2) स्थान जहाँ जप्त की गई - शेखपुरा - चकियारी थाना पथ

(3) अभियुक्त का नाम जिनके द्वारा अवैध कार्य किया गया - 1. नाम - त्रिवालक मिस्त्री, ग्राम - चाहे (पिता - ध्रुप मिस्त्री), थाना - शेखपुरा; (2) नाम - अबू तबरेज, पिता - अबु शाह, ग्राम - चकियारी, थाना - शेखपुरा

(4) जप्त सम्पत्ति का विवरण - 10 - बबूल, 5 - जामुन, 2 - शीशम; • एक ट्रैक्टर - निबंधन संख्या - BR52M3238 (Power trac); • एक ट्रेलर निबंधन संख्या - ~~BR52M3238~~ शून्य

(5) पदाधिकारी का नाम व पता - रुपम कुमारी (वनरक्षी) शेखपुरा वन प्रक्षेत्र

जिनके द्वारा सम्पत्ति जप्त की गई:- रुपम कुमारी (वनरक्षी)

(6) जप्त सम्पत्ति का अभिरक्षण एवं अभिरक्षक का हस्ताक्षरः- रुपम कुमारी (वनरक्षी) अरियरी पौधशाला
रुपम कुमारी

(7) गवाहों का नाम एवं पताः- जितेन्द्र कुमार (पशुपालक)
जितेन्द्र कुमार

(8) प्राबधान जिसके तहत वन अपराध किया गयाः- भारतीय वन, बिहार संशोधन अधि० 1989 के धारा 33(1) F एवं 41, 42 के तहत

(9) प्रावधान जिसके तहत वन पदार्थ जप्त किया गयाः- भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार संशोधन अधिनियम 1989 के धारा 52 (1) के तहत

(10) जप्त करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहरः-

(11) अभियुक्तिः-

अशोक कुमार
कार्यालय वनों के ... कारी
शेखपुरा वन प्रक्षेत्र शेखपुरा

प्रमाणित करता हूँ कि वर्णित गवाहों के समक्ष वन सम्पदा जप्त किया गया है।

जप्ती सूची।

1. जप्ती की तिथि एवं समय– 03.12.2022 को 08:35 अपराह्न
2. स्थान जहॉ जप्त की गई– शेखपुरा चरिहारी टोला पथ
3. अभियुक्त का नाम जिनके द्वारा अवैध कार्य किया गया– 1. शिववालम मिस्त्री, पिता– समफल मिस्त्री, ग्राम– चारी, थाना– शेखपुरा 2. अबु तबरेज, पिता– अबु शबर, ग्रम– चहियारी, थाना– शेखपुरा।
4. जप्त संम्पति का विवरण– 10 बबूल, 5 गुलर, 2 शीशम, एक ट्रेक्टर निबंधन सं0– बी0 आर0 52 जी0 3238 पावर ट्रैक्टर, एक टेलर निबंधन सं0– 0
5. पदाधिकारी का नाम एवं पता जिनके द्वारा सम्पति जप्त की गई– रूपम कुमारी, वनरक्षी, शेखपुरा वन प्रक्षेत्र। रूपम कुमारी, वनरक्षी।
6. जप्त संम्पति का अभिरक्षण एवं अभिरक्षक का हस्ताक्षर– रूपम कुमारी, वनरक्षी, अरियारी पौधशाला, रूपम कुमारी।
7. गवाहों का नाम एवं पता– जितेन्द्र कुमार, (पशुरक्षक)
8. प्रावधान जिसके तहत वन अपराध किया गया– भारतीय वन बिहार संशोधन अधिनियम 1989 के धारा (1) (F) 41, 42 के तहत।
9. प्रावधान जिसके तहतवन पदार्थ जप्त किया गया– भारतीय वन अधिनियम, 1927 के बिहार संशोधन अधिनियम, 1989 की धारा 52 (1) के तहत।
10. जप्त करने वाले पदाधिकारी, का हस्ताक्षर एवं मोहर–
11. अभियुक्ति–

प्रमाणित करता हूँ कि वर्णित गवाहों के समक्ष वन सम्पदा जप्त किया गया है।

NOTARY
Narendra
Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No. 1250/87
Exp. Date
16.03.2027
GOVT. OF BIHAR

18 – फारम सं0 21 (क)

...रण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार

...घ रिपोर्ट स० 5002

जमुई वन प्रमण्डल
......................प्रक्षेत्र

...णी – यह रिपोर्ट पता लगने के 24 घन्टे के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

1. घटना – स्थल –
2. पता लगाने की तारीख और समय – 03/12/2022 को 8:35 AM
3. अपराधी का नाम, उसके पिता का नाम और निवास –
4. जप्त सम्पति यदि हो –
5. जप्त सम्पति की अभिरक्षा –
6. साथी का नाम, उसके पिता का नाम और निवास, यदि हो–

जितेन्द्र कुमार

7. अपराधा का स्वरूप और तथ्य विवरण –

3

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार

अपराध रिपोर्ट सं0– 5002

जमुई वन प्रमंडल,
शेखपुरा प्रक्षेत्र।

1. घटना स्थल– शेखपुरा चहियारी टोला पथ
2. पता लगाने की तारिख एवं समय– 03.12.2022 को 08:35 अपराह्न
3. अपराधियों का नाम, उसके पिता का नाम और निवास– 1. शिववालम मिस्त्री, पिता– समफल मिस्त्री, ग्राम– चारी, थाना– शेखपुरा 2. अबु तबरेज, पिता– अबु शबर, गग्रम– चहियारी, थाना– शेखपुरा।
4. जप्त सम्पति यदि हो– 10 बबूल, 5 गुलर, 2 शीशम, एक ट्रेक्टर निबंधन सं0– बी0 आर0 52 जी0 3238 पावर ट्रैक्टर, एक टेलर निबंधन सं0– 0
5. जप्त सम्पति की अभिरक्षा– रूपम कुमारी, वनरक्षी
6. साथी का नाम उसके पिता का नाम और निवास यदि हो– जितेन्द्र कुमार, (पशुरक्षक)
7. अपराध का स्वरूप और तथ्य विवरण–

NOTARY
Narendra Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No. 1250/87
Exp. Date 15.03.2027
GOVT. OF BIHAR

सेवा में,

श्रीमान थाना के प्रभारी पदाधिकारी,

[illegible]

महाशय,

सादर सूचित करना है कि दिनांक 03/12/2022 को [illegible] के साथ [illegible] नगर परिषद के अंतर्गत [illegible] मार्ग की ओर [illegible] एक ट्रैक्टर को देखा। [illegible] चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। गाड़ी के नजदीक पहुंचकर [illegible] के दौरान कोई वैध कागजात नहीं मिला।

[illegible] गाड़ी पर कोई [illegible] सहित गाड़ी को भी जब्त किया गया। [illegible] अपराधी की पहचान की [illegible] बिहार [illegible] अधिनियम 1989 की धारा 52(1) [illegible] बिहार [illegible] अधिनियम 1989 के धारा 33(1), 41, 42 [illegible] किया जाता।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपराधी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाए।

[illegible] कुमारी
([illegible])
03/12/2022

सेवा में

श्रीमान् वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
शेखपुरा।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि दिनांक 03.12.2022 को गुप्त सूचना के आधार पर अपने वनकर्मियों के साथ शेखपुरा नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड न0– 14 चहियारी टोला से मुख्य सड़क मार्ग की और तेजी से जा रहे एक ट्रेक्टर को देखा। हमलोग द्वारा दोबारा उसका पीछा किया गया। हमलोग को देखते हुए चालक गाड़ी खड़ा कर भाग गया। गाड़ी के नजदीक पहुॅच कर जॉच के दौरान कोई वैध कागजात नही मिला।

अतः उसे अवैध मानकर गाड़ी पर लोड लकड़ियों सहित गाड़ी को भी जप्त कर लिया गया। भागने के क्रम में अपराधियों को पहचान कि गई जो उलटे पृष्ट पर अंकित हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 52 (1) के तहत कर जप्ती सूची बनाई गई। इस प्रकार अपराधियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम बिहार वन संशोधन अधिनियम 1989 के धारा 33 (1) (F) 41, 42 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपराधियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने कि कृपा की जाय।

रूपम कुमारी, वनरक्षी।
03.12.2022

Annexure-A/2 81

कार्यालय :- प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

पत्रांक :- दिनांक :-

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
शेखपुरा।

विषयः- भारतीय वन (बिहार संशोधित अधिनियम) अधिनियम, 1989 की धारा-52(4)(ए) के अधीन अधिहरण की कार्रवाई प्रारंभ करने की सूचना प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि अभियुक्त 1.शिवबालक मिस्त्री पे0-रामलाल मिस्त्री, ग्राम-चाढ़े, पोस्ट+थाना+जिला-शेखपुरा 2. अबू टबरेज, पे0-अबू शब ग्राम-चढिहारी पोस्ट+थाना+जिला-शेखपुरा द्वारा अवैध पातन एवं परिवहन से संबंधित भारतीय व अधिनियम- 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम-1989) की धारा-33, 41 का उल्लंघन के अधीन अपरा घटित होने का प्रतिवेदन जब्ती सूची के साथ प्राप्त हुआ है, जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया आर प्रमाणित होता है। तदआलोक में संतुष्ट होकर धारा-52(1) में निम्नलिखित जब्त सामानों पर अधिहरण व कार्रवाई प्रारंभ किया जाता है। उक्त वाद का अधिहरण वाद सं0-**24/2022** है।

अतः निम्न वस्तुओं पर अधिहरण की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए, भारतीय वन (बिहार संशोधि अधिनियम) अधिनियम, 1989 की धारा-52, उप धारा-(4)(ए) के तहत् आपको सूचनार्थ भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाए।

<u>जप्त सामानों का विवरण</u>
ट्रैक्टर ट्रेलर निबंधन संख्या-BR52G3238
लकड़ी-
गुलर प्रजाति- 05 पीस
शिशम प्रजाति-02 पीस
बबूल प्रजाति- 10 पीस

विश्वासभाजन,
प्राधिकृत पदाधिकारी
-सह-
वन प्रमंडल पदाधिकारी
जमुई वन प्रमंडल जमुई

अनु0-यथोक्त।

15-12-22

Annexure-R/3 82

NOTARY Narendra Kr. Singh GOVT. OF BIHAR

कार्यालय :-प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

पत्रांक :-

सेवा में, दिनांक :-

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
शेखपुरा।

विषयः- भारतीय वन (बिहार संशोधित अधिनियम) अधिनियम, 1989 की धारा-52(4)(ए) के अधीन अधिहरण की कार्रवाई प्रारंभ करने की सूचना प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि अभियुक्त 1.शिवबालक मिस्त्री, पे0-रामलाल मिस्त्री, ग्राम-चाढे, पोस्ट+थाना+जिला-शेखपुरा 2. अबू टबरेज, पे0-अबू शबर, ग्राम-चढिहारी पोस्ट+थाना+जिला-शेखपुरा द्वारा अवैध पातन एवं परिवहन से संबंधित भारतीय वन अधिनियम- 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम-1989) की धारा-33, 41 का उल्लंघन के अधीन अपराध घटित होने का प्रतिवेदन जब्ती सूची के साथ प्राप्त हुआ है, जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होता है। तदआलोक में संतुष्ट होकर धारा-52(1) में निम्नलिखित जब्त सामानों पर अधिहरण की कार्रवाई प्रारंभ किया जाता है। उक्त वाद का अधिहरण वाद सं0-**24/2022** है।

अतः निम्न वस्तुओं पर अधिहरण की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए, भारतीय वन (बिहार संशोधित अधिनियम) अधिनियम, 1989 की धारा-52, उप धारा-(4)(ए) के तहत् आपको सूचनार्थ भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाए।

जप्त सामानों का विवरण

ट्रैक्टर ट्रेलर निबंधन संख्या-BR52G3238
लकड़ी-
गुलर प्रजाति- 05 पीस
शिशम प्रजाति-02 पीस
बबूल प्रजाति- 10 पीस

विश्वासभाजन,

ह0/-
प्राधिकृत पदाधिकारी
-सह-
वन प्रमंडल पदाधिकारी
जमुई वन प्रमंडल जमुई

अनु0--यथोक्त।

ज्ञापांक- 1520 **दिनांक**-14/12/22

प्रतिलिपि- वन क्षेत्र पदाधिकारी शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन, 60 दिनों के अंदर समर्पित नहीं करने की स्थिति में वाद से संबंधित सारी जबावदेही पूर्णतः आपकी होगी। **अभियुक्त**-1. शिवबालक मिस्त्री, पे0-रामलाल मिस्त्री, ग्राम-चाढे, पोस्ट+थाना+जिला-शेखपुरा 2. अबू तबरेज, पे0-अबू शबर, ग्राम-चढिहारी पोस्ट+थाना+जिला-शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

Piyush 14/12/22
प्राधिकृत पदाधिकारी,
-सह-
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

Annexure R/4

NOTARY
Narendra
Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No. 12508/...
Exp. Date
16.03.2027
GOVT. OF BIHAR

कार्यालय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
शेखपुरा
पत्रांक 157
दिनांक 23/12/2022

...मान् थाना अध्यक्ष महोदय (शेखपुरा)

विषय: प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध मे

महाशय,

सादर सूचित करना है कि दिनांक 3/12/2022 को 8:35 AM के करीब वन गश्ती के दौरान वार्ड नं.14 चकियारी टोला के अंतर्गत अपने वन कर्मियों के साथ एक तेजी से भाग रहे ट्रैक्टर को देखा। पीछा किये जाने पर चालक द्वारा वाहन खड़ा कर दिया गया और वह भागने मे सफल रहा। ट्रैक्टर पर लदे लकड़ियो से संबंधित जाँच करने पर लदे लकड़ियो से संबंधित कोई भी वैध कागजात नहीं मिला। जिसे अवैध मानते हुए कार्यवाही की गई। और अपराधियो का नाम पता करते हुए वन मुकदमा भी दर्ज किया गया। जाँच के क्रम मे अपराधियो का नाम - (1) शिवालक मिस्त्री, पिता - रामफल मिस्त्री, ग्राम - चांदे, थाना + जिला - शेखपुरा एवं (2) अंकु तबरेज, पिता - अंकु शाखर, ग्राम - चकियारी थाना + जिला - शेखपुरा पाया गया। साथ ही अनुसंधान के क्रम मे हरोही नदी के किनारे 4 (चार) ताजा कटे हुए खूँटा पाया गया। जिसका मिलान जब्त लकड़ी से किया गया और सही पाया गया। यह भूमि और वन सरकारी भूमि है।

अतः IPC की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए अन्य अभियुक्तो की कामीयती लगाकर ~~एवं~~ कार्यवाई करने की कृपा की जाए।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
शेखपुरा

प्रतिलिपि: विश्वासभाजन -

कार्यालय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
शेखपुरा वन प्रक्षेत्र शेखपुरा

अशोक कुमार
23.12.22

सेवा में,

श्रीमान् थाना अध्यक्ष महोदय, (शेखपुरा),

विषय— प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महोदय,

सादर सूचित करना है कि दिनांक 03.12.2022 को 08:35 पूर्वाह्न के करीब वन गस्ती के दौरान वार्ड नं0— 14 चहियारी टोला के अंतर्गत अपने वन कर्मियों के साथ एक तेजी से भाग रहे ट्रैक्टर को देखा। पीछा किये जाने पर चालक द्वारा वाहन खड़ा कर दिया गया और वह भागने में सफल रहा। ट्रैक्टर पर लदे लकड़ियों से संबंधित जॉच करने पर लदे लकड़ियों से संबंधित कोई भी वैध कागजात नहीं मिला। जिसे अवैध मानते हुए कार्यवाही की गई और अपराधियों का नाम पता करते हुए वन मुकदमा भी दर्ज किया गया। जॉच के क्रम में अपराधियों का नाम— 1. शिववालम मिस्त्री, पिता— समफल मिस्त्री, ग्राम— चारी, थाना— शेखपुरा 2. अबु तबरेज, पिता— अबु शबर, ग्रम— चहियारी, थाना— शेखपुरा पाया गया। साथ ही अनुसंधान के क्रम में टारी नदी के किनारे 4 (चार) ताजा कटे हुए खुँटा पाया गया। जिसका मिलान जब्त लकड़ी से किया गया और सही पाया गया। यह भूमि गैर वन सरकारी भूमि है।

अतः आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के तहत् प्राथमिकी दर्ज करते हुए अन्य अभियुक्तों का भी पता लगाकर कार्यवाही करने की कृपा की जाए।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, शेखपुरा

विश्वासभाजन,

अशोक कुमार

Annexure-R/5 85

NOTARY
K. Singh
(Bihar)
250/87
Date
2027
GOVT. OF BIHAR

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

अशोक टाउन हॉल रोड, जमुई पिन कोड 811307 फोन न0 06345 222036

पत्रांक— दिनांक—

प्रेषक,

पीयूष कुमार बरनवाल, भा0व0से0
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

सेवा में,

अंचलाधिकारी,
शेखपुरा।

विषय— चारयारी ग्राम में टाटी नदी के किनारे वृक्षों के पातन के स्थल की जाँच के संबंध में।

प्रसंग — माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में दर्ज OANO/2023 अरशद नसर बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार तथा प्राधिकृत पदाधिकारी—सह— वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के न्यायालय में दर्ज अधिहरण वाद संख्या—24/2022

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक—03.12.2022 को शेखपुरा चारयारी टोला पथ में अवैध परिवहन से संबंधित है। संबंधित जमीन का किस्म क्या है, इसका जाँच कर लें, क्योंकि वन विभाग का वाद अवैध परिवहन से संबंधित है। जिस जमीन से पातन किया गया है, वह वनभूमि नहीं है। अतः यह सिद्ध करने के लिए कि यह पातन, जिस जमीन से किया गया है, वह रैयती है अथवा गैर—मजरूआ, इस जमीन का अंचल स्तर से जाँच किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में पूर्व में भी प्रार्थी अरशद नसर द्वारा जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचित किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा इस पातन से संबंधित वाद का संज्ञान लिया गया है, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक—16.10.2023 को निर्धारित है। अतः उक्त जमीन का जाँच कर यह सुनिश्चित कर लें कि जिस जमीन से वृक्षों का पातन किया गया है, वह गैर—मजरूआ है अथवा रैयती। गैर—मजरूआ पाये जाने पर आपके स्तर से सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाने से संबंधित प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं संबंधित अभियुक्तों के विरूद्ध कार्रवाई भी की जाए। ज्ञातव्य हो कि ऐसी भूमि, जो वन भूमि नहीं है एवं गैर—मजरूआ है, उसपर किये गये वृक्षों के अवैध पातन के संबंध में नियमानुसार अंचल अधिकारी के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।

NOTARY
Narendra Kr. Singh
Jamui
2027
GOVT. OF BIHAR

जगह की विवरणी के **GPS Coordinates N 25.073305 E 85.854676, N 25.159772 E 85.159772, N 25.159528 E 85.867307, N 25.1598 E 85.867388, N 25.15953 E 85.867517 & N 25.159507 E 85.867437** है, जिनका छायांकन भेजा जा रहा है तथा जाँच हेतु वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, शेखपुरा के मोबाईल नं0. 9835010522 पर संपर्क स्थापित कर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

ज्ञापांक– 2614 दिनांक–3/10/23
प्रतिलिपि – नगर थाना, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Piyush
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

Annexure-R6

NOTARY
16.03.2027
GOVT. OF BIHAR

-45- Annexure-'C'

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदया, शेखपुरा। 29.05.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला–शेखपुरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय, जिला–जमुई।

विषय :– आदर्श थाना शेखपुरा अन्तर्गत चढ़ियारी–अवगिल चाँड़े गाँव के बीच अवस्थित सरकारी नदी टाटी तथा अवगिल जाने वाले मुख्य सरकारी सड़क एवं चढ़ियारी मुख्य सड़क किनारे हरे भरे वृक्षदार पुराने कई मोटे पेड़ को लकड़ी माफिया अबु तबरेज, अबु अनवर एवं अबु सरवर द्वारा अवैध रूप से पातन कर परिवहन कर लेने एवं नदी के तलहटी में काट कर रखे गये लकड़ी के कई बुटा को अबतक विधिवत जप्त नहीं करने के संबंध में कार्रवाई हेतु अभ्यावेदन।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर आग्रह पूर्वक कहना है कि आदर्श थाना शेखपुरा अन्तर्गत चढ़ियारी–अवगिल चाँड़े गाँव के बीच अवस्थित सरकारी नदी टाटी तथा अवगिल जाने वाले मुख्य सरकारी सड़क एवं चढ़ियारी मुख्य सड़क किनारे हरे भरे वृक्षदार पुराने कई मोटे पेड़ को लकड़ी माफिया 1. अबु तबरेज, पिता–अबु सरवर 2. अबु अनवर उर्फ अन्नु, पिता–स्व0 अबु मुस्लिम 3. अबु सरवर, पिता– स्व0 अबु मुस्लिम सभी का साकिन– चढ़ियारी, आदर्श थाना शेखपुरा, जिला–शेखपुरा ने किसी भी संबंधित विभाग से अनुमति लिये बिना अवैध रूप से दिन दहाड़े पातन कर परिवहन कर लेने पर एंव टाटी नदी में काट कर रखे गये कई लकड़ी के बुटा को अब तक विधिवत जप्त नहीं करने पर तथा अब तक उपर्युक्त लकड़ी माफियाओं पर किसी प्रकार का फोरेस्ट एवं पुलिस केस दर्ज नहीं होने तथा इस मामले पर अवतक किसी प्रकार का कोई अग्रेतर कानूनी कार्रवाई नहीं होना कानून का खुला उल्लघंन होने के साथ ही साथ सरकारी पद, दायित्त्व एवं कर्त्तव्य का घोर उल्लघंन है, जबकि इस मामले की जानकारी आप महानुभावो को रहने के बाबजूद भी ये हाल है।

NOTARY Narendra Kr. Singh Bihar GOVT. OF BIH.

-46- (5)

पुराने हरे भरे वृक्ष दार कई मोटे पेड़ के अवैध पातन से एक तरफ पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचने के साथ ही साथ दुसरी तरफ सरकारी नदी घाटी को कटाव से बचाने के लिए लगाये गये पेड़ के अवैध पातन कटाव निरोधी कार्य को भी भारी नुकसान पहुँचने की भी पुरी संभावनाएं है साथ ही वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर भी प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावनाएं है साथ ही इस मामले में उपर्युक्त लकड़ी माफियाओं पर किसी भी प्रकार का फोरेस्ट एवं पुलिस केस दर्ज नहीं होने एवं किसी तरह का कोई भी अग्रेतर कार्रवाई नहीं होने से लकड़ी माफियाओं का मनोबल ऊँचा है जबकि माननीय न्यायालय एवं सरकार वन एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अति संवेदनशील है तो दुसरी तरफ लकड़ी माफियां माननीय न्यायालय एवं सरकार के मंशा पर पानी फेरने में लगे हुये है। एक पेड़ को वास्तविक आकार लेने में कई वर्ष लग जाते है परन्तु लकड़ी माफियां उक्त पेड़ को पाँच मिनट में अवैध पातन कर परिवहन कर विक्री कर देते है जो कि अत्यंत ही गंभीर विषय होने के साथ ही साथ इस मामले में अत्यंत ही कठोर कार्रवाई आपेक्षित है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सादर आग्रह है कि उपर्युक्त मामले पर उपर्युक्त लकड़ी माफियाओं पर अविलम्ब फोरेस्ट एवं पुलिस केस दर्ज करते हुए लकड़ी माफियाओं को गिरफ्तार कर सजा दिलाकर वन एवं पर्यावरण की रक्षा करते हुए उपर्युक्त लकड़ी माफियाओं पर भारी पर्यावरणीय क्षति पूर्ति जुर्माना लगाने की कृपा करते हुए अन्य विधि सम्मत कार्रवाई जल्द से जल्द करने की कृपा की जाय। इस पुनित कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी बना रहूँगा।

नोट :– कृत कार्रवाई से मुझे भी मुझे भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– लकड़ी माफियाओं द्वारा अवैध पातन किये गये हरे भरे वृक्षदार पुराने मोटे पेड़ एवं काट कर रखे गये लकड़ी के कई बुटा की छवि।

नोट :– कुल पृष्ठो की संख्या–06

भवदीय,

सैयद अरशद नसर
29.05.2023

(सैयद अरशद नसर)
सामाजिक कार्यकर्त्ता
पता– चढ़ियारी, पो0–पथरैटा
थाना व जिला–शेखपुरा
मो0 नं0–7250785688

Annexure - R/7 89

P.P.C. - 37 P
23/3/23

24/2022

18 अनुसूची फॉर्म नं० 21

NOTARY GOVT. OF BIHAR Regd. No. ... Exp. Date 16.03.2027

वन विभाग, बिहार

जमुई वन प्रमण्डल जमुई

अपराध रिपोर्ट नं० 18 ता० 20/03/2023

शेखपुरा राजस्व केन्द्र रेंज।

अपराध का स्वरूप

अवैध परिवहन

पता चलने की तारीख और समय 03/12/22

घटना स्थल चाड़मारी टोला पथ

किसने पता लगाया रूपम कुमारी (वनरक्षी)

वन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का निर्देश।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989) की धारा

भारतीय वन अधिनियम - 1927 (बिहार संशोधन - 1989) की धारा - 41 के तहत।

अभियुक्तों के नाम

नाम	पिता का नाम	निवास स्थान			
		गाँव	पोस्ट	थाना	ज़िला
1) अबु तवरेज	अबु शरवर	चाड़मारी	शेखपुरा	शेखपुरा	शेखपुरा
2) शिवलाल मिस्त्री	रामफल मिस्त्री	चाँदे	कोसमा	कोसमा	शेखपुरा

साक्षियों के नाम

1) रूपम कुमारी (वनरक्षी)	शेखपुरा	प्रक्षेत्र			
2) जितेन्द्र कुमार (वनपाल)					
3) अशोक कुमार (वनपाल)		"			

तथ्यों की पूरी रिपोर्ट पन्ने की दूसरी ओर है।

18 अनुसूची

फारम संख्या–21

वन विभाग, बिहार

जमुई वन प्रमण्डल, जमुई

अपराध रिर्पोट संख्या 01पी0 ता0– 20.03.2023

शेखपुरा/ राजस्व केन्द्र रेंज

अपराध का स्वरूपः–	अवैध परिवहन

पता चलने का तारीख और समय :– 3/12/2022

धटना स्थल :– चारियारी टौला पथ

किसने पता लगायाः– रूपम कुमारी, वनरक्षी

वन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का निर्देश					
भरतीय वन अधिनियम,1927(बिहार संशोधन अधिनियम,1989) की धारा					
भरतीय वन अधिनियम,1927(बिहार संशोधन अधिनियम,1989) की धारा–41 के तहत					
अभियुक्तों का नाम					
नाम	पिता का नाम	निवास स्थान			
		गाँव	पोस्ट	थाना	जिला
1.अबु तबरेज	अबु सरवर,	चारियारी	शेखपुरा	शेखपुरा	शेखपुरा
2.शिवालम् मिस्त्री	रामफल मिस्त्री	चारे	कोरमा	कोरमा	जमुई
साक्षियों का नाम					
1.रूपम कुमारी, वनरक्षी शेखपुरा प्रक्षेत्र।					
2.जितेन्द्र कुमार, पशुरक्षक, शेखपुरा प्रक्षेत्र।					
3.आशोक कुमार वनपाल।					
तथ्यों की पूरी रिर्पोट पन्ने की दूसरी आरे है					

NOTARY Narendra Singh GOVT. OF BIHAR

अनुसूची-18 फारम सं० 21

विस्तार पूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट
[यह घटना के दूसरे दिन तक ही तैयार करें]

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
जमुई वन प्रमंडल जमुई।

द्वारा – उचित माध्यम

विषय – अपराध प्रतिवेदन संख्या- 5002, दिनांक- 03/12/2022 का पूर्ण जाँच अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सुचित करना है कि दिनांक- 03/12/22 को गुप्त सुचना थी कि चरघारी ग्राम से कुछ वृक्षों का पातन कर पारगमन किया जा रहा है। सुचना के आधार पर रूपम कुमारी वनरक्षी एवं जितेन्द्र कुमार पशुरक्षक के साथ उक्त पथ पर गश्ती के लिए निकली, गश्ती के क्रम में पाया कि चरघारी ग्राम से शेखपुरा कि ओर एक ट्रैक्टर आ रहा है जिसपर लकड़ी लोड है। नजदीक आने पर ट्रैक्टर को रोकने का इशारा किया, चालक द्वारा गश्ती दल देखकर कुछ दुरी पर वाहन खड़ा कर भागने लगा। हमलोग चालक को पकड़ने का प्रयास किया किन्तु वह भागने में सफल रहा। तत्पश्चात हमलोग वाहन के पास पहुँचा एवं ट्रैक्टर पर लोड लकड़ी से संबंधित कागजात की खोजबीन किया, वाहन पर लकड़ी से संबंधित कोई भी कागज मौजुद नहीं पाया। लकड़ी को अवैध पाकर रूपम कुमारी वनरक्षी द्वारा अपराध रिपोर्ट सं०- 5002, दिनांक- 03/12/22 से प्राथमिकी दर्ज किया गया, दर्ज प्राथमिकी का प्रतिवेदन घटनास्थल पर ही मुझे समर्पित किया गया, जिसके आलोक में मेरे द्वारा जब्ती की कारवाई विधिवत की गई। 3 प्रती में तैयार जब्ती प्रतिवेदन का एक प्रती जब्ती स्थल पर चिपका दिया एवं स्थानीय व्यवस्था के मदद से ट्रैक्टर सह लकड़ी को अरघरी पौधशाला में सुरक्षित रखा।

घटना की गहन सत्यता हेतु पारपृष्ठ पर अंकित अभियुक्त संख्या- 1 एवं 2 की पशुरक्षक के माध्यम ... से ... जब्त लकड़ी एवं

(2)

18 अनुसूची फारम संख्या–21

विस्तार पूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिर्पोट

(यह घटना के दूसरें दिन तक ही तैयार की गई)

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

द्वारा :– उचित माध्यम

विषय :– अपराध प्रतिवेदन संख्या–5002, दिनांक–03.12.2022 का पूर्ण जाँच अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 03.12.2022 को उक्त सूचना थी की चरियारी ग्राम से कुछ वृक्षों का पातन कर पारगमन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर रूपम कुमारी वनरक्षी, जितेन्द्र कुमार, पशुरक्षक के साथ उक्त पथ पर गस्ती के लिए निकली, गश्ती के क्रम में पाया की चरियारी ग्राम से शेखपुरा ग्राम की ओर एक ट्रैक्टर आ रहा है। जिसपर लकड़ी लोड है। नजदीक आने पर ट्रैक्टर को रोकने का ईशारा किया, चालन द्वारा गश्ती दल देख कर कुछ दूरी पर वाहन खड़ा कर भागने लगा, हमलोग चालक को पकड़ने का प्रयाश किया परंतु वन भागने में सफल रहा तत्तपश्चात हमलोग वाहन के पास पहुँचा एवं ट्रैक्टर पर लोड लकड़ी से संबंधित कागजात की खोज बिन किया, वाहन पर लकड़ी से संबंधित कोइ भी कागज मोजूद नही पाया, लकड़ी को आवैध पाकर रूपम कुमारी वनरक्षी द्वारा अपराध रिर्पोट संख्या–5002 दिनांक–03.12.2022 से प्राथमिक दर्ज किया गया।,दर्ज प्रथमिकी का प्रतिवेदन धटना स्थल पर ही मुझे समर्पित किया गया। जिसके आलोक में मेरे द्वारा जप्ती की कार्रवाई विधिवत की गई। तिन प्रति में तैयार जप्ती प्रतिवेदन का एक प्रति जप्ती स्थल पर चिपका दिया एवं स्थानीय व्यवस्था के मदद से ट्रेक्टर सह लकड़ी को अरियारी पौधशाला में सूरक्षित रखा।

धटना की गहन सत्यता हेतु पार पृष्ट पर अंकित अभियुक्त संख्या–01, एवं 02 को पशुरक्ष के माध्यम से खबर भेजवाया की जप्त लकड़ी एवं

NOTARY Naren Kr. Singh Jamui ...87 STATE OF BIHAR

अभियुक्ति का बयान

ट्रैक्टर से सम्बंधित अपना पक्ष प्रक्षेत्र कार्यालय शेखपुरा में आकर रखे। अपना पक्ष रखने हेतु वाहन स्वामी दिनांक- 07/01/2023 को उपस्थित होकर एक आवेदन दाखिल किए, जिसमें बताया की मोहित अशरफ, पेशर- मंजुर आलम, ग्राम - चाड़यारी, शेखपुरा द्वारा अपने निजी जमीन में कटे वृक्ष को चिरान हेतु शेखपुरा ले जाना चाहते थे, चालक द्वारा गाड़ी में लोगो में आकर लकड़ी लोड कर लिया, चालक को जानकारी नहीं था की लकड़ी लोड करने से पहले वन विभाग से कागजात लेना पड़ता है।

पातन किए गए वृक्ष का स्थलीय जाँच हेतु मोहित अशरफ, पेशर- मंजुर आलम, ग्राम - चाड़यारी, पोस्ट+थाना+ जिला - शेखपुरा से संपर्क कर पातन स्थल पर गया तो पाया कि वृक्ष का पातन टाटी नदी के तट पर से किया गया है। मोहित अशरफ द्वारा दावा पेश किया गया कि नदी के बगल का खेत मेरा रैयती है। एवं पातन किया गया वृक्ष भी हमारे जमीन का है।

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा भारतीय वन अधिनियम - 1927 (बिहार संशोधन -1989) की धारा - 41 के तहत वन अपराध किया गया है।

विश्वासभाजन

अशोक कुमार
20.01.23

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
शेखपुरा वन प्रक्षेत्र, शेखपुरा

अनुलग्नक -

1. अपराध रिपोर्ट संख्या - 5002 का मुलप्रति।
2. जब्ती सुची का प्रति।
3. जब्ती का G.E.O tagged छायाचित्र।
4. आवेदक द्वारा दाखिल किया गया आवेदन।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
[illegible]

(3)

18 अनुसूची फारम संख्या–21

विस्तार पूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिर्पोट

(यह घटना के दूसरें दिन तक ही तैयार की गई

ट्रैक्टर से संबंधित अपना प्रक्षेत्र कार्यालय शेखपुरा में आकर रखें अपना पक्ष रखने हेतु वाहन स्वमी दिनांक–07.01.2023 को उपस्थित होकर एक आवेदन दाखिल किये, जिसमें बताया कि मुहित अशरफ पे0 मंजूर आलम, ग्राम–चरियारी, शेखपुरा द्वारा अपने निजी जमीन में काटे वृक्ष को चिरान हेतु शेखपुरा ले जाना चाहते थें, चालक द्वारा भाड़े के लोभ में आकर लकड़ी लोड कर लिया, चालक को जानकारी नहीं था की लकड़ी लोड करने से पहले वन विभाग से कागजात लेना पड़ता है।

पातन किये गये वृक्ष का स्थलीय जाँच हेतु मुहित अशरफ पे0 मंजूर आलम ग्राम–चरियारी , पोस्ट+थाना+जिला–शेखपुरा से सम्पर्क कर पातन स्थल पर गया तो पाया कि वृक्ष का पातन टाटी नदी के तट से लिया गया हैं। मुहित अशरफ द्वारा दावा पेश किया गया की नदी के बगल का खेत मेरा रेयती है एवं पातन किया गया वृक्ष भी हमारे जमीन का है।

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा भरतीय वन अधिनियम,1927(बिहार संशोधन अधिनियम,1989) की धारा–41 के तहत वन अपराध किया गया।

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वाराभरतीय वन अधिनियम,1927(बिहार संशोधन अधिनियम,1989) की धारा–41 के तहत वन अपराध किया गया।

विश्वाश्भाजन,

वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी,
शेखपुरा वन प्रक्षेत्र, शेखुपरा

अनु0–1.पहला अपराध रिर्पोट संख्या–5002 का मूल प्रति।
2. जप्ती सूची का प्रति।
3. जप्ती का जियो टेग छायाचित्र।
4. आवेदन द्वारा दाखिल किया गया आवेदन।

NOTARY
Narendra Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. ... 50/87
Exp. 16.03.20..
GOVT. OF BIHAR

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा।

विषय :— दिनांक 3/12/2022 को प्रातः 8:35 Am में लकड़ी लदा ट्रैक्टर के जब्ती के संबंध में

महाशय

सादर सूचित करना है कि आज दिनांक 03/12/2022 को गुप्त सूचना के आधार पर मेरे वनकर्मी के साथ शेखपुरा नगरपरिषद के अंतर्गत वार्ड नं०-14, चकियारी गांव की ओर जा रहे थे तो देखा एक ट्रैक्टर तेजी से जा रहा था हमलोगों ने रुकने का इशारा किया गया। हमलोग को आते देख कर चालक गाड़ी खड़ा कर जंगल में भाग गया। गाड़ी के नजदीक पहुंचा तो गाड़ी को Power ट्रैक्टर था। जिसकी जांच की गई। जांच के दौरान कोई लकड़ी का वैध कागजात नहीं मिला। जिसे अवैध मानते हुए भारतीय वन अधि० 1927 के बिहार संशोधन अधि० 1989 के धारा 52(1) के तहत जब्त कर जब्ती सूची बनाई गई। वाहन पर लदे लकड़ियों (10 बबूल, 5 - सेमल, 2 शीशम) को सुरक्षित रूप से आरक्षी नर्सरी, शेखपुरा लाकर रखा गया।

इस प्रकार अपराधियों द्वारा भारतीय वन बिहार संशोधन अधि० 1989 के धारा 33(1)f, 41, 42 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। चालक के भागने के क्रम में वनकर्मी द्वारा पहचान किया जो अभियुक्त के कॉलम में दर्ज है।

P/03-12-22

अतः श्रीमान से आग्रह है कि अपराधियों के विरुद्ध विधि संगत कानूनी कार्यवाई करने की कृपा की जाए। जांचों के उपरांत अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन उचित माध्यम के द्वारा समर्पित किया जाएगा।

अभियुक्त के नाम एवं पता :—

1) नाम - शिवबालक मिस्त्री
पिता - रामकमल मिस्त्री
ग्राम - चांदे
थाना - शेखपुरा

2) नाम - अबू तबरेज
पिता - अबू सरवर
ग्राम - चाकिहपुरी
थाना - शेखपुरा

विश्वासभाजन

अशोक कुमार

कार्यालय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
शेखपुरा वन प्रक्षेत्र शेखपुरा

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा।

विषय– दिनांक 03.12.2022 को प्रातः 08:35 अपराह्न में लकड़ी लोड ट्रेक्टर के जप्ती के संबंध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि आज दिनांक 03.12.2022 को गुप्त सूचना के आधार पर जब वनकर्मियों के साथ शेखपुरा नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड नं0– 14 चरयारी टोला की और जा रहे थे तो देखा एक ट्रेक्टर तेजी से भागा जा रहा था। हमलोग के द्वारा पीछा किया गया। हमलोग को आते देखकर चालक गाड़ी खड़ा करके भागने में सफल रहा। गाड़ी के नजदीक पहुँचा तो गाड़ी जो पावर ट्रेक्टर था, जिसकी जॉच कि गई। जॉच के दौरान कोई लकड़ी का वैध कागजात नहीं मिला। जिससे अवैध मानते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार संशोधन अधिनियम 1989 के धारा 52 (1) के तहत जप्त कर जप्ती सूची बनाई गई। वाहन पर लदे लकड़ियों (10 बबूल, 5 गुलर, 2 शीशम) को सुरक्षित रूप से अरियरी नर्सरी शेखपुरा में लाकर रखा गया।

इस प्रकार अपराधियों द्वारा भारतीय वन बिहार संशोधन अधिनियम 1989 में धारा 33 (1) (F) 41, 42 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। चालक के भागने के क्रम में वनकर्मी द्वारा पहचान किया, जो अभियुक्त के कॉलम में दर्ज है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अपराधियों के विरूद्ध विधि संगत कानूनी कार्रवाई करने कि कृपा की जाय। जॉचों के उपरांत अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन उचित माध्यम के द्वारा समर्पित किया जायेगा।

अभियुक्त के नाम एवं पता

1. शिवबालम मिस्त्री
   पिता– रामफल मिस्त्री
   ग्राम– चाढ
   थाना– शेखपुरा
2. अबू तबरेज
   पिता– अबू शरबर
   ग्राम– चहियारी

विश्वासभाजन,

वनों के क्षेत्र, पदाधिकारी
शेखपुरा वन प्रक्षेत्र।

वन विभाग-बिहार

जप्ती सूची

(1) जप्ती की तिथि एवं समयः- 03/12/2022 को 8:35 Am

(2) स्थान जहाँ जप्त की गई - शेखपुरा - चकिआरी शेखा पथ

(3) अभियुक्त का नाम जिनके द्वारा अवैध कार्य किया गया:- 1. नाम - त्रिवालक मिस्त्री, ग्राम - चाड़े (पिता - रामकाल मिस्त्री), थाना शेखपुरा
(2.) नाम - अबू तबरेज, पिता - अबू शाहद, ग्राम - चकिआरी, थाना - शेखपुरा

(4) जप्त सम्पत्ति का विवरणः- 10 - बबूल P
5 - गूलर P
2. शीशम P

पदाधिकारी का नाम व पता - रुपम कुमारी (वनरक्षी) शेखपुरा वन प्रक्षेत्र
- एक ट्रैक्टर निबंधन सं. BR 52 [illegible] (Powertrac)
- एक ठेला [illegible]

जिनके द्वारा सम्पत्ति जप्त की गई:- रुपम कुमारी (वनरक्षी)

(6) जप्त सम्पत्ति का अभिरक्षण एवं अभिरक्षक का हस्ताक्षरः- रुपम कुमारी (वनरक्षी)
रुपम कुमारी

(7) गवाहों का नाम एवं पताः- जितेन्द्र कुमार (पचरुखी)
जितेन्द्र कुमार

(8) प्रावधान जिसके तहत वन अपराध किया गयाः- भारतीय वन, बिहार संशोधन अधिनियम 1989 के धारा 33(1) f एवं 41, 42 के तहत

(9) प्रावधान जिसके तहत वन पदार्थ जप्त किया गयाः- भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार संशोधन अधिनियम 1989 के धारा 52 (1) के तहत

(10) जप्त करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहरः-

(11) अभियुक्तिः-

अशोक कुमार
[illegible]
शेखपुरा वन प्रक्षेत्र शेखपुरा

प्रमाणित करता हूँ कि वर्णित गवाहों के समक्ष वन सम्पदा जप्त किया गया है।

NOTARY
Narendra Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No. 1250/87
Exp. Date 16.03.2027
GOVT. OF BIHAR

जप्ती सूची।

1. जप्ती की तिथि एवं समय– 03.12.2022 को 08:35 अपराह्न
2. स्थान जहॉ जप्त की गई– शेखपुरा चरिहारी टोला पथ
3. अभियुक्त का नाम जिनके द्वारा अवैध कार्य किया गया– 1. शिववालम मिस़्त्री, पिता– समफल मिस्त्री, ग्राम– चारी, थाना– शेखपुरा 2. अबु तबरेज, पिता– अबु शबर, गग्रम– चहियारी, थाना– शेखपुरा।
4. जप्त संम्पति का विवरण– 10 बबूल, 5 गुलर, 2 शीशम, एक ट्रेक्टर निबंधन सं0– बी0 आर0 52 जी0 3238 पावर ट्रैक्टर, एक टेलर निबंधन सं0– 0
5. पदाधिकारी का नाम एवं पता जिनके द्वारा सम्पति जप्त की गई– रूपम कुमारी, वनरक्षी, शेखपुरा वन प्रक्षेत्र। रूपम कुमारी, वनरक्षी।
6. जप्त संम्पति का अभिरक्षण एवं अभिरक्षक का हस्ताक्षर– रूपम कुमारी, वनरक्षी, अरियारी पौधशाला, रूपम कुमारी।
7. गवाहों का नाम एवं पता– जितेन्द्र कुमार, (पशुरक्षक)
8. प्रावधान जिसके तहत वन अपराध किया गया– भारतीय वन बिहार संशोधन अधिनियम 1989 के धारा (1) (F) 41, 42 के तहत।
9. प्रावधान जिसके तहतवन पदार्थ जप्त किया गया– भारतीय वन अधिनियम, 1927 के बिहार संशोधन अधिनियम, 1989 की धारा 52 (1) के तहत।
10. जप्त करने वाले पदाधिकारी, का हस्ताक्षर एवं मोहर–
11. अभियुक्ति–

प्रमाणित करता हूॅ कि वर्णित गवाहों के समक्ष वन सम्पदा जप्त किया गया है।

अनुसूची 18 – फारम सं0 21 (क)

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार

अपराध रिर्पाट स०. 5002 जमुई वन प्रमण्डल

झाझा प्रक्षेत्र

NOTARY
Narendra Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Regd. No. 1250/87
16.0
GOVT. OF BIHAR

टिप्पणी – यह रिपोर्ट पता लगने के 24 घन्टे के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिएं।

1. घटना – स्थल – शेखपुरा - चकियारी रोला पथ

2. पता लगाने की तारीख और समय – 03/11/2022 को 8:35 AM

3. अपराधी का नाम, उसके पिता का नाम और निवास –
(1) शिवालक मिस्त्री, पिता – रामलाल मिस्त्री, ग्राम – चांद, थाना – कोरमा
(2) अंकू तबरेज, पिता – अबु शाहवर, ग्राम – चकियारी, जिला – शेखपुरा

4. जप्त सम्पति यदि हो –
10 – बबूल का बोटा
5 – बबूल – ?
2 – शीशम ?

5. जप्त सम्पति की अभिरक्षा – रूपम कुमारी (वनरक्षी)

6. साथी का नाम, उसके पिता का नाम और निवास, यदि हो–

जितेन्द्र कुमार (परिचारी)
जितेन्द्र कुमार

7. अपराधा का स्वरूप और तथ्य विवरण –

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार

अपराध रिपोर्ट सं0— 5002

जमुई वन प्रमंडल,
शेखपुरा प्रक्षेत्र।

1. घटना स्थल— शेखपुरा चहियारी टोला पथ
2. पता लगाने की तारिख एवं समय— 03.12.2022 को 08:35 अपराह्न
3. अपराधियों का नाम, उसके पिता का नाम और निवास— 1. शिववालम मिस्त्री, पिता— समफल मिस्त्री, ग्राम— चारी, थाना— शेखपुरा 2. अबु तबरेज, पिता— अबु शबर, गग्रम— चहियारी, थाना— शेखपुरा।
4. जप्त सम्पति यदि हो— 10 बबूल, 5 गुलर, 2 शीशम, एक ट्रेक्टर निबंधन सं0— बी0 आर0 52 जी0 3238 पावर ट्रैक्टर, एक टेलर निबंधन सं0— 0
5. जप्त सम्पति की अभिरक्षा— रूपम कुमारी, वनरक्षीं
6. साथी का नाम उसके पिता का नाम और निवास यदि हो— जितेन्द्र कुमार, (पशुरक्षक)
7. अपराध का स्वरूप और तथ्य विवरण—

सेवा में,
श्रीमान वन क्षेत्र पदाधिकारी,
जमुई

महाशय,

सादर सूचित करना है कि दिनांक 03/12/2022 को गश्ती के दौरान अपने वनकर्मी के साथ जमुई नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड नं 014 [illegible] टोला से [illegible] सड़क मार्ग की ओर [illegible] तरफ से जा रहे एक ट्रैक्टर को देखा। हमलोग द्वारा उसका पीछा किया गया। हमलोग को देखते ही चालक गाड़ी छोड़ कर भाग गया। गाड़ी के नजदीक पहुंचकर जांच के दौरान कोई वैध कागजात नहीं मिला।

अतः उक्त ट्रैक्टर गाड़ी पर लदी लकड़ियां सहित गाड़ी को भी जब्त किया गया। गाड़ी के [illegible] से अपराधी की पहचान की [illegible] जिसका [illegible] अंकित है। भारतीय वन अधिनियम 1927 संशोधन अधिनियम 1989 के धारा 52(1) के तहत जब्ती सूची बनाई गई। इस प्रकार अपराधियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम, बिहार संशोधन अधिनियम 1989 के तहत धारा 33(1) f, 41, 42 का [illegible] उल्लंघन किया गया।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपराधी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाए।

रंजना कुमारी
(वनरक्षी)
03/12/2022

NOTARY
Narendra Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No. 1250/87
Exp. Date 16.05.2027
GOVT. OF BIHAR

सेवा में

श्रीमान् वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
शेखपुरा।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि दिनांक 03.12.2022 को गुप्त सूचना के आधार पर अपने वनकर्मियों के साथ शेखपुरा नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड न0– 14 चहियारी टोला से मुख्य सड़क मार्ग की और तेजी से जा रहे एक ट्रेक्टर को देखा। हमलोग द्वारा दोबारा उसका पीछा किया गया। हमलोग को देखते हुए चालक गाड़ी खड़ा कर भाग गया। गाड़ी के नजदीक पहुँच कर जॉच के दौरान कोई वैध कागजात नही मिला।

अतः उसे अवैध मानकर गाड़ी पर लोड लकड़ियों सहित गाड़ी को भी जप्त कर लिया गया। भागने के क्रम में अपराधियों को पहचान कि गई जो उलटे पृष्ट पर अंकित हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 52 (1) के तहत कर जप्ती सूची बनाई गई। इस प्रकार अपराधियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम बिहार वन संशोधन अधिनियम 1989 के धारा 33 (1) (F) 41, 42 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपराधियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने कि कृपा की जाय।

रूपम कुमारी, वनरक्षी।
03.12.2022

सेवा में
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
शेखपुरा

विषय :- दिनांक 3/11/22 को चाड़यारी मार्ग पर जब्त वाहन को मुक्त करने के सम्बन्ध में

महाशय,

निवेदन के साथ कहना है कि दिनांक 3/11/22 को मोहित अशरफ पेशार मन्जुर आलम ग्राम चाड़यारी पो० व थाना जिला शेखपुरा द्वारा अपने निजि स्थल से काटे गये गुल्लर एवं बबुल कि लकड़ी को चालक द्वारा भाड़े के उद्देश्य से गाड़ी पर लोड कर लिया जिसे वन विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया।

श्रीमान चालक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि लकड़ी लोड करने से पहले वन विभाग से कागज़ लेना पड़ता है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ मेरे परिवार का भरण पोषण जब्त वाहन से होता था। वाहन जब्त होने से वाहन का किस्त भी नहीं दे पा रहा हूँ। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। निवेदन है कि मेरे वाहन को मुक्त करने की कृपा कि जाए। इसके लिए श्रीमान का आभारी रहूँगा। वाहन के R.C का छाया प्रति संलग्न है।

आपका विश्वासी
अबु सरवर तबरेज़
पिता: स्व० अबु मुस्लिम सरवर
चाड़यारी वार्ड न० 14
जिला:- शेखपुरा

NOTARY
Narendra Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No.-1250/87
Exp. Date 16.03.2027
GOVT. OF BIHAR

सेवा में,

वनो के क्षेत्र पदाधिकारी
शेखपुरा।

विषय— दिनांक 03.12.2022 को चाड़यारी मार्ग पर जप्त वाहन को मुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन के साथ कहना है कि दिनांक 03.12.2022 को मोहित अशरफ, पे0— मन्जुर आलम, ग्राम— चाड़यारी, पो0+थाना+जिला— शेखपुरा द्वारा अपने निजी अस्थ से काटे गए गुलर एवं बबूल कि लकड़ी को चालक द्वारा भाड़े के उद्धेश्य से गाड़ी पर लोड कर लिया, जससे वन विभाग द्वारा जप्त कर लिया गया।

श्रीमान चालक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि लकड़ी लोड करने से पहले वन विभाग से कागज लेना पड़ता है।

मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे परिवार का भरण—पोषण जप्त वाहन से होता था। वाहन जप्त होने से वाहन का किस्त भी नहीं दे पा रहा हूँ। आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। निवेदन है कि मेरे वाहन को मुक्त करने कि कृपा की जाय। इसके लिए श्रीमान का अभारी रहूँगा। वाहन का आर0 सी0 का छाया प्रति संलग्न है।

आपका विश्वासी

अबु तबरेज, पिता— स्व0 अबु सरवर
चड़यारी, वार्ड न0— 14, जिला— शेखपुरा।

NOTARY
Narendra
Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No. 1250/87
Exp. Date
16.03.2021
GOVT. OF BIHAR

NOTARY
Narendra
Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No. 1250/87
Exp. Date
16.03.2027
GOVT. OF BIHAR

NOTARY
Narendra Kr. Singh
Jamui (Bihar)
Reg. No.-125...
Exp. Date
..03.202..

[४]

वन विभाग बिहार सरकार

जमुई वन .... प्रमण्डल

अपराध रिपोर्ट सं०

ता० 20/03/2023

[राजस्व केन्द्र
कार्यालय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी शेखपुरा रेंज।

ज्ञाप सं० 28

ता० 20/03/2023

उप वन संरक्षक जमुई वन प्रमण्डल

को जप्ती रिपोर्ट की एक प्रति और आवेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।

.... प्रभारी पदाधिकारी

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
शेखपुरा वन क्षेत्र शेखपुरा
[राजस्व केन्द्र
[रेंज।

ज्ञाप सं० 1083

ता० 19/4/23

.... मजिस्ट्रेट .... को

Divisional Forests Officer
Jamui Forest Division
Jamui-811307

आदेशिका तामिल करने के लिए एक आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेजें भेजी जाती है:

हस्ताक्षर
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
जमुई वन प्रमण्डल, जमुई

.... प्रभारी वन संरक्षण

.... प्रमण्डल

(4)

18 अनुसूची फारम संख्या–21

प्रमंडल

अपराध रिर्पोट संख्या– 01P **ता0–20.03.2023**

ज्ञापांक संख्या–28

ता0–20.03.2023

उप वन संरक्षक, जमुई वन प्रमंडल को जप्ती रिर्पोट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।

प्रभारी पदाधिकारी
राजस्व केन्द्र रेंज।
ज्ञापांक संख्याः– 1083
दिनांक–19.04.2023
मजिस्ट्रैट

आदेशिका तामिल करने के लिए एक आवेदन आप और निम्नलिखित दस्तावेजो भेजी जाती है।

प्रभारी वन संरक्षक
प्रमंडल